न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य-प्रदेश, ग्वालियर

कांताबाई विधवा दामोदर आयु 71 वर्ष जाति ब्राह्मण
धंधा कृषि व गृहकार्य निवासी रिंगनोद तहसील सरदारपुर. ------ प्रार्थीया.

बनाम

1- माणकचंद पिता मांगीलाल आयु 66 वर्ष,

2- सुगनचंद पिता मांगीलाल आयु 61 वर्ष,

3- शोभागमल पिता मांगीलाल आयु 56 वर्ष,

4- गौतमचंद पिता मांगीलाल फौत वारिसान -
अ-कनकमल पिता गौतमचंद आयु 41 वर्ष
ब-कांतिलाल पिता गौतमचंद आयु 31 वर्ष
स-दिलीप पिता गौतमचंद आयु 29 वर्ष सभी जाति
महाजन धंधा व्यापार आदि सभी निवासी रिंगनोद
तहसील सरदारपुर जिला धार : म. प्र. : ------विपक्षीगण.

क्रमांक 220-I द्वारा आज दिनांक 30.11.96 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

: निगरानी अर्ज धारा 50 भू-राजस्व संहिता :-:

माननीय महोदय,

सेवा में विनम्रतापूर्वक अर्ज है कि सरदारपुर क्षेत्र में सन् 1971-72 में मौके के मान से, हक के मान से, कब्जे के मान से संबंधित सेटलमेंट अधिकारियों ने व अपने अधीनस्थ की मदद से संबंधित काश्तकारान अड़ोसी-पड़ोसी मौके पर जाकर संबंधित रेकार्ड व मौके की स्थिति का मिलान, अंकन तस्दीक के बाद खसरे-खातों में इन्द्राज व नक्शे तरमीम शीट तैयार की गई जिसकी जानकारी स्वयं इस प्रकरण के विपक्षी याने मूल प्रकरण के प्रार्थी को है । तत्समय कोई आपत्ति उज्र नहीं उसके बाद विधिवत् प्रकाशित हुआ निर्धारित अवधि तक संबंधित विभाग में, कलेक्टर कार्यालय में, राजस्व विभाग निर्धारित अवधि तत्संबंधी नक्शे खसरे-खातों में यदि कोई आपत्ति हो इस हेतु रखे उस अवधि में भी विपक्षी माणकचंद अथवा उसके प्रिडीसिसर -इन-टायटल ने कभी ई आपत्ति उज्र नहीं किया न लेने का प्रश्न है वे फायनल हो चुके होकर उसके अन्दर एक साल अथवा तीन साल ज्यादा से ज्यादा दीवानी वाद हो सकता था व, उक्त खसरे, नक्शे व खाते के सेटलमेंट अधिकारियों की कार्यवाही के विरुद्ध अंदर 45 दिन अथवा अंदर 60 दिन अपील या निगरानी हो सकती थी, जो भी नहीं हुई । अब वर्तमान व्यर्थ अर्जी विपक्षी ने अनुविभागीय अधिकारी के यहां दी है । तत्संबंध में राजस्व प्रकरण क्रमांक 4:80-81 अ।74 में हमने उज्र बाय वे आफ अमेंडमेंट अर्ज पेश किये एवं

.........2

C.F.Rs.1.50

उसके तारतम्य में पुन: कूट परीक्षण बाबद् भी आवेदन दिया व कूट परीक्षण बाबद् गवाहान तलबी का प्रोसेस भी दिया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 14-12- को वे अर्जियां नज़र अंदाज कर दी विनिश्चय करना तो दूर उन्हें डीम टु बी रिजेक्ट कर दिया अत: उक्त आज्ञा दिनांक 14-12-95 से असन्तुष्ट होकर एक निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त,इंदौर संभाग इन्दौर में पेश हुई जो प्रकरण क्रमांक 916:95-96 पर कायम हुई उसमें आदेश दिनांक 10-9-1996 द्वारा कायदे के विरुद्ध ज्युरीस्डिक्शन,न्याय व उच्च न्यायालय द्वारा नवीन सेटलमेंट वर्ष 1971-72 में जो नक्शा मौके के मान से बाद सूचना जानकारी बना वह प्रिवेल करेगा इन सब उपरांत को नज़र अन्दाज कर आज्ञा अधीनस्थ मूल अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त महोदय ने दी है उससे अर्थात् आज्ञा दिनांक 10-9-96 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर सादर सद्भावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :-

::।।- आधार - निगरानी -।।::

1:- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा अवैध है, इर्रेग्युलर , इललिगल वेस्टेड अधिकारों का दुरुपयोग कर है, अत: अपास्त योग्य है ।

2:- यह कि मैंने विधिवत् अर्जी आदेश 6 नियम 17 सी०पी०सी० व आदेश 18 नियम 17ए सी०पी०सी० व धारा 32 भू रा०सं० की दी जो सद्भाविक थी विधि से समर्थित थी अत: वह स्वीकार होना थी । गौर हुआ नहीं, गौर होवें ।

3:- यह कि प्रकरण में विपक्षी याने मूल प्रकरण का प्रार्थी एक पर्टीक्युलर प्ली, एक पर्टीक्युलर सहायता चाहता है, जो प्रथम दृष्टया बेसुध है उसकी निर्धारित अवधि भी चली गई है दावे की अर्जी भी चली गई है । प्रथम दृष्टया ज्युरीस्डिक्शन भी मूल न्यायालय को नहीं है । अत: ऐसी दशा में मूल अर्जी ही आउन्ट राईट रिजेक्ट योग्य थी । अदालत को पक्षकार के लिये आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी मुजब सबूत कलैक्ट ... नहीं होता है । सबूत स्वयं पक्षकार को देना होता है न देने की दशा में वह असफ... होगा । गौर हुआ नहीं, गौर होवें । इस संबंध में 1988 एम०पी०डब्ल्यू०एन० सेकण्ड... स्पष्ट है ।

4:- यह कि मेरी अर्जी आदेश 6 नियम 17 सी०पी०सी० व आदेश 18 नियम... व धारा 32 भू रा०सं० की प्रथम निराकृत होना थी जिसे टाला गया है, अत: स... नि... कार्यवाही व्यर्थ है । गौर हुआ नहीं, गौर होवें । ...य

5:- यह कि पूर्व की आज्ञा व उसके तारतम्य में की गई कार्यवाही व आदेश ... होकर विचाराधिकाररहित है, अपास्त योग्य है ।

P.T.O.

6:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी के पद क्रमांक-3 में मैंने यह प्रश्न

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (कांताबाई / माणकचंद)

प्रकरण कमांक निगरानी 1751–एक / 2003(निग.64–एक / 1996) जिला–धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.01.2016	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 9–1–08 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 20–01–2016 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 9–1–08 से 20–01–16 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर व आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 20–01–2016 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 1996 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । अध्यक्ष	